

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक : 122/उदयपुर/ 2005-06

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चाणक्य शिक्षा एवं शोध संस्थान
उदयपुर जिला - उदयपुर का राजस्थान संस्था
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत
रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की मोहर से आज दिनांक 15

माह दिसम्बर सन् २० हजार पाँच को उदयपुर में दिया।

रजिस्ट्रार संस्थाएँ
उदयपुर